औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास
और
साझी अनुसंधान सुविधाएं (बर्ड-सीआरएफ) योजना
के तहत साझे अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीआरटीडीएच)
की स्थापना

दिशा-निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
http://www.dsir.gov.in

जून, 2022

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
I	**साझे अनुसंधान तथा विकास केंद्र (सीआरटीडीएच) - दिशा-निर्देश**	
	• प्रस्तावना	**2**
	• लक्ष्य तथा उद्देश्य	**2**
	• कार्यक्रम का क्षेत्र	**2**
	• आमंत्रित प्रस्ताव	**5**
	• सीआरटीडीएच की मेजबानी के लिए पात्रता	**5**
	• सहायता की प्रकृति	**5**
	• स्थापना की अवधि तथा सीआरटीडीएच का संचालन	**6**
	• चयन प्रक्रिया	**6**
	• धनराशि का उन्मोचन	**6**
	• सीआरटीडीएच का प्रचालन तंत्र	**6**
	• अपेक्षित प्रदेय	**7**
	• प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया	**7**
II.	आवेदन का प्रारूप (अनुलग्नक I)	**8**
III.	आवेदक मेजबान संगठनों के लिए निर्देश (अनुलग्नक II)	**11**
IV.	करार/समझौता-ज्ञापन का प्रारूप (अनुलग्नक III)	**12**
V.	नियम एवं शर्तें (अनुलग्नक IV)	**14**
VI.	विषय विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रारूप (अनुलग्नक V)	**18**
VII	व्यय का विवरण (अनुलग्नक VI)	**19**
VIII	उपयोग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक VII)	**22**
IX	अर्ध- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रारूप (अनुलग्नक VIII)	**25**
X	सीआरटीडीएच परियोजना आवेदक मेजबान संगठनों के लिए सह-पत्र का प्रारूप तथा जांच-सूची (अनुलग्नक IX)	**27**
XI.	स्वीकृति पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक X)	**28**

क्र¿ सं-I

1.0 प्रस्तावना

प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रमुख निर्धारकों में से एक नवाचार क्षमता है, जो नए वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों को विकसित करने में क्षमताओं को संदर्भित करता है, और वृद्धिशील परिवर्तनों, प्रणालीगत परिवर्तनों और व्यवसाय करने के तरीके में परिवर्तन को भी पूरा करता है। कई कंपनियां नई तकनीकों और विचारों का विपणन करने योग्य उत्पादों और सेवाओं में नवाचार की चुनौतियों के कारण अनुवाद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वे उपयुक्त संसाधनों की चाह में कठोर हैं। इस संबंध में, विशेष रूप से सूक्ष्म और छोटे क्षेत्रों की छोटी कंपनियां वित्तीय बाधाओं के कारण नवाचार प्रक्रियाओं में भाग लेने से वंचित रह जाती हैं, इसके बावजूद उनके नवाचार कौशल में कमी आती है। यह वांछनीय है कि ऐसी कंपनियों को तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने नवाचारस-संबंधी खोज के साथ जारी रखने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान कर सकें। औद्योगिक अनुसंधान के पोषण और अभिनव उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की दृष्टि से, डीएसआईआर ने में 12 वीं योजना **'बिल्डिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कॉमन रिसर्च फैसिलिटीज)BIRD-crf)'** की योजना शुरू की है, जो **साझे निर्माण अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास हब (सीआरटीडीएच)** का समर्थन करता है सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) द्वारा उपयोग के लिए समर्पित है ताकि नवाचार संबंधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।

2.0 लक्ष्य तथा उद्देश्य

सीआरटीडीएच का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी समस्या को सुलझाने और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करके MSE की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना होगा। सीआरटीडीएच योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSE) के लिए समर्पित औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास नवाचार के लिए सीआरटीडीएच स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन सीआरटीडीएच पर स्थापित बुनियादी ढांचा और उपकरण MSEs को अपने अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करने की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसमें नवीन उत्पादों और नई तकनीकों का परीक्षण शामिल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स / नवीकरणीय ऊर्जा, सस्ती स्वास्थ्य, पर्यावरणीय हस्तक्षेप, कम लागत मशीनिंग और जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान नई सामग्री / रासायनिक प्रक्रियाएं।

3.0 कार्यक्रम का क्षेत्र

क) कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों में सीआरटीडीएच बनाना है:

लक्ष्य क्षेत्र 1 - इलेक्ट्रॉनिक / नवीकरणीय ऊर्जा	
केंद्र बिंदु के क्षेत्र	• विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स • रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स • सौर / थर्मल फोटोवोल्टिक • एमआरटी सिग्नलिंग • रेलवे आदि
कार्य योजना	1. थ्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर/थर्मल फोटोवोल्टिक, रिएक्टर, पैराबोलिक प्रौद्योगिकी, एमआरटी सिग्नलिंग, रेलवे आदि। 2. गैसीफायर, पीवी सिस्टम, पॉलीसिलिकॉन सेल, वेफर और मॉड्यूल आदि के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण में आधारभूत संरचना और आरएंडडी समर्थन का निर्माण करें। 3. इलेक्ट्रॉनिक और नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान वाले क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसई की पहचान, सहयोग, दृष्टिकोण और समर्थन करना। 4. एमएसई के लिए अनुकूलित आर एंड डी समस्या निवारण प्रदान करें।
उद्देश्य	सीआरटीडीएच निम्नलिखित की सुविधा के उद्देश्य के लिए समर्पित: • उच्च गुणवत्ता और संपूर्ण अनुसंधान का संचालन करना • पहले हाथ की शोध सूचनाओं को प्रसारित करना • ज्ञान का सृजन, प्रसार, लागू और संरक्षण • अभिनव उत्पादों को बाहर लाना
आउटकम/संभावित प्रभाव	1. ऊर्जा के स्रोतों के लिए वैकल्पिक प्रणालियों के निर्माण में भाग लेने के लिए MSEs की सुविधा। 2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कई नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों का उपयोग 3. ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का विकास करना 4. स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण क्षमता 5. लागत प्रभावी प्रसंस्करण उपकरण विकसित करना 6. अभिनव अनुसंधान एवं विकास परिणामों, क्षमता निर्माण और सुरक्षित विनिर्माण प्रथाओं (कार्यशालाओं और हाथों पर ऐप के माध्यम से) के लिए एमएसई के लिए विशेष परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता

लक्ष्य क्षेत्र 2 – सस्ता स्वास्थ्य	
केंद्र बिंदु के क्षेत्र	• निदान • बायो फार्मेसुटिक्स • चिकित्सा उपकरण आदि
कार्य योजना	1. ध्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जैसे कि कैंसर, संक्रामक रोग, मानव जीनोम, जैव सूचना विज्ञान, आरएंडडी दवाओं के उम्मीदवारों का परीक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों और रक्त बैंकों आदि के लिए तेजी से रक्त परीक्षण। 2. सस्ती स्वास्थ्य, नैदानिक परीक्षण और उपकरण जैसे कि माइक्रोएरे, रोगी निगरानी उपकरणों विशेष जैव प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए प्रौद्योगिकी आदि के लिए अनुसंधान और विकास नवाचार के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे की स्थापना। 3. हेल्थकेयर की पहचान वाले क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसई की पहचान, सहयोग, दृष्टिकोण और समर्थन करना। 4. एमएसई के लिए अनुकूलित आर एंड डी समस्या निवारण प्रदान करें 5. स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए भारत की बढ़ती मांग
उद्देश्य	सीआरटीडीएच निम्न सुविधाओं के उद्देश्य के लिए समर्पित: ▪ उच्च गुणवत्ता और संपूर्ण अनुसंधान का संचालन ▪ पहले हाथ अनुसंधान की जानकारी का प्रसार ▪ ज्ञान बनाएँ, लागू करें और ज्ञान का संरक्षण करें ▪ अभिनव उत्पाद बाहर लाना
आउटकम/संभावित प्रभाव	• विशेष अनुसंधान और विकास परीक्षण सुविधा, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, बीई और बीए अध्ययन, पोस्ट ट्रांसलेशन की उपलब्धता (वैक्सीन उम्मीदवार / ड्रग) • एमएसई के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परीक्षण सुविधाएं। • सस्ती कीमतों पर स्थानीय बाजार की जरूरतों और नैदानिक किट के अनुरूप नवीन स्वदेशी उत्पादों की डिजाइनिंग और विकास। • शीघ्र निदान, प्रारंभिक उपचार के लिए अग्रणी, निवारक स्वास्थ्य संबंधी विकारों पर जागरूकता। • अनुसंधान और विकास के परिणामों और आर एंड डी क्षमता निर्माण के लिए एमएसई के लिए विशेष परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता पर हाथों की एक कार्यशालाओं और या प्रशिक्षण) ।(किस्म में आर एंड डी विशेषज्ञता के वृद्धिशील विकास के माध्यम से • विशेष उच्च अंत प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा निदान और स्वास्थ्य सेवा में आउटसोर्सिंग को कम करना। • अर्धशहरी और ग्रामीण भारत को हेल्थकेयर प्रदान करें।- • गुणवत्ता नैदानिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुकूलित आर एंड डी की सुविधा।
लक्ष्य क्षेत्र 3 - पर्यावरणीय हस्तक्षेप	
केंद्र बिंदु के क्षेत्र	• जल प्रौद्योगिकी • धाराप्रवाह उपचार • अपशिष्ट निपटान • ई - कचरा • पुनर्चक्रण तकनीक आदि
कार्य योजना	1. पहचाने जाने वाले पर्यावरणीय हस्तक्षेपों पर जोर देने वाले क्षेत्र, जैसे कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक और अस्पताल का कचरा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-कचरा आदि का निपटान। 2. उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास नवाचार के लिए अनुसंधान बुनियादी ढाँचा स्थापित करना। 3. अपशिष्ट प्रबंधन के उपरोक्त पहचान वाले क्षेत्रों में काम करने वाले MSE की पहचान, सहयोग, दृष्टिकोण और समर्थन करना 4. एमएसई के लिए अनुकूलित आर एंड डी समस्या निवारण प्रदान करना 5. कचरे को धन में परिवर्तित करने की भारत की बढ़ती मांग के कारण
उद्देश्य	सीआरटीडीएच निम्न सुविधा के लिए समर्पित: • उच्च गुणवत्ता और संपूर्ण अनुसंधान का संचालन करना • पहले हाथ अनुसंधान जानकारी का प्रसार • ज्ञान का सृजन, प्रसार, लागू और संरक्षण

	• अभिनव उत्पादों को बाहर लाना
आउटकम / संभावित प्रभाव	• MSE के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण, उपकरण सुविधाओं की उपलब्धता। • अभिनव स्वदेशी लागत प्रभावी तकनीकी समाधान विकसित करना। • अनुसंधान एवं विकास और अनुसंधान और विकास के परिणामों और आर एंड डी क्षमता निर्माण (कार्यशालाओं और हाथों से प्रशिक्षण के माध्यम से) के लिए एमएसई के लिए विशेष अनुसंधान और विकास और परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता।
लक्ष्य क्षेत्र 4 - कम लागत वाली मशीनिंग	
केंद्र बिंदु के क्षेत्र	• मशीन उपकरण डिजाइन • उत्पादन और परीक्षण उपकरण • सीएनसी मशीनिंग • धातु बनाने की तकनीक आदि
कार्य योजना	1. थ्रस्ट क्षेत्रों को धातु काटने, धातु बनाने वाली मशीन टूल्स, पारंपरिक मशीन टूल्स और कंप्यूटर को संख्यात्मक रूप से नियंत्रित (सीएनसी) मशीनों के रूप में पहचाना जाना चाहिए। 2. नई और उभरती हुई सामग्रियों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास को सुगम बनाना। 3. उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरल जिग्स और फिक्स्चर डिजाइन करना। 4. कम लागत के स्वचालन में अनुसंधान और विकास नवाचार के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे की स्थापना। 5. पहचाने गए क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसई की पहचान, सहयोग, दृष्टिकोण और समर्थन करना 6. एमएसई के लिए अनुकूलित आर एंड डी समस्या निवारण प्रदान करना
उद्देश्य	सीआरटीडीएच निम्न सुविधा के लिए समर्पित: • क्षेत्रों में कम लागत वाले मशीनिंग अनुसंधान परिणामों के सफल कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना • एमएसई क्लस्टर्स के लिए पहले हाथ अनुसंधान जानकारी सहित बेहतर तकनीकी योजना और आरएंडडी परिणामों के प्रसार के लिए क्लस्टर में हिस्सेदारी धारकों की क्षमता निर्माण। • नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं को सामने लाना नवीन और समावेशी प्रौद्योगिकियों /उत्पादों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित अनुकूलित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पर अनुसंधान और विकास का संचालन करना।
आउटकम/संभावित प्रभाव	• एमएसई आउटकम / संभावित प्रभाव • विशिष्ट उपयोगकर्ता की जरूरतों के मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से कम लागत पर मूल्य परिवर्धन के लिए एमएसई को सुविधाएं। • सीएनसी मशीनों की सुविधाओं में सुधार, लागत को कम करने और मशीनिंग की आसानी आदि के लिए नई सामग्रियों का उपयोग। • ऑटोमेशन, हैंडलिंग सिस्टम और टीपीएम-फ्रेंडली मशीनों को विकसित करने के लिए एमएसई की सुविधा। • अनुसंधान एवं विकास परिणामों, क्षमता निर्माण और सुरक्षित विनिर्माण प्रथाओं (कार्यशालाओं और हाथों से प्रशिक्षण के माध्यम से) के लिए एमएसई के लिए विशेष परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता। • स्वचालन में कुशल जनशक्ति और विशेषज्ञता का विकास। • कम लागत और उन्नत उत्पादन प्रणालियों के साथ स्वदेशी आरएंडडी और मालिकाना तकनीक का विकास। • प्रौद्योगिकी और उत्पादों की आउटसोर्सिंग को कम करना।
लक्ष्य क्षेत्र 5– नई सामग्री / रासायनिक प्रक्रिया	
केंद्र बिंदु के क्षेत्र	• रासायनिक प्रक्रिया • रसायन / पेट्रो रसायन • धातु और धातुकर्म • सामग्री परीक्षण आदि

कार्य योजना	1. जोर क्षेत्रों की पहचान करें और अनुसंधान एवं विकास नवाचार के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचा स्थापित करें: i दक्षता और संचालन में सुधार के लिए नई सामग्री विकास। ii रासायनिक संक्षारण और धातु विज्ञान iii पॉलिमरिक विकसित करने से विघटन और सुरक्षा में सुधार होता है iv बेहतर गुणवत्ता और शुद्धता के साथ रासायनिक विनिर्माण में लागत में कमी v उभरते ऊर्जा स्रोतों की रसायन vi रासायनिक ऊर्जा उत्पादन को कम करने और जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी 2. पहचानें, सहयोग, दृष्टिकोण और सामग्री और रासायनिक प्रक्रिया के पहचान किए गए क्षेत्रों में काम कर रहे MSEs का समर्थन करें। 3. एमएसई के लिए अनुकूलित आर एंड डी समस्या निवारण प्रदान करें 4. सतत तकनीकी सहायता और एमएसई को समाधान पहुंचाना
उद्देश्य	सीआरटीडीएच निम्न सुविधा के लिए समर्पित: • उच्च गुणवत्ता और संपूर्ण अनुसंधान का संचालन करना • प्रत्यक्ष अनुसंधान सूचना का प्रसार • ज्ञान का सृजन,प्रसार,प्रयोग और संरक्षण • नवोन्मेषी उत्पादों को सामने लाना
नतीजा/ संभावित प्रभाव	• सामग्री/रासायनिक प्रसंस्करण, लक्षण वर्णन और उपचार के लिए लघु और मध्यम उद्यम को सुविधाएं। • अनुसंधान एवं विकास परिणामों,क्षमता निर्माण और सुरक्षित विनिर्माण प्रथाओं (कार्यशालाओं और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से) के लिए लघु और मध्यम उद्यम को विशेष परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता। • कम लागत वाले रसायनों का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और मालिकाना प्रौद्योगिकी का विकास करना। • संक्षारण प्रतिरोधी और लागत प्रभावी सामग्री,संक्षारण निगरानी तकनीक और अवशिष्ट प्रसंस्करण उपकरण विकसित करना। • प्रौद्योगिकी और उत्पादों की आउटसोर्सिंग को कम करना।

ख) सीआरटीडीएच लघु और मध्यम उद्यम के लिए नवीन उत्पादों और नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण सहित उनके अनुसंधान और विकास का संचालन करने के लिए बुनियादी ढांचा और उपकरण सुविधाएं प्रदान करेगा।

ग) लघु और मध्यम उद्यम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सीआरटीडीएच से लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और संस्थागत प्रौद्योगिकी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ।

4.0 आमंत्रित प्रस्ताव

सीआरटीडीएच की स्थापना के लिए सुपरिभाषित प्रस्ताव डीएसआईआर की वेबसाइट पर "प्रस्तावों हेतु आमंत्रण" के माध्यम से मांगे गए हैं:

5.0 सीआरटीडीएच की मेजबानी के लिए पात्रता

क) आवेदक मेजबान संगठन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं,सार्वजनिक वित्त पोषित निकायों या एक विशिष्ट कानूनी इकाई (जीएफआर 2017 के नियम 228 के अनुसार) वाले संस्थानों से होना चाहिए, जो इन सीआरटीडीएच को क्लस्टर के निकट स्थित स्थानों में स्थापित करने के इच्छुक और सक्षम हैं। लक्षित विषयों में काम कर रहे लघु और मध्यम उद्यम, जो अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्य करने के लिए सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ख) सीआरटीडीएच के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि और भवन सुविधाएं निर्धारित होनी चाहिए।

ग) आवेदक मेजबान संगठन के पास उपरोक्त खंड 2.0 और 3.0 के अनुसार योजना के उद्देश्य और दायरे में उल्लिखित पहचाने गए क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए। लघु और मध्यम उद्यम के साथ सहयोग करने का पूर्व अनुभव रखने वाले संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

घ) ऐसे संगठन जहां डीएसआईआर समर्थित सीआरटीडीएच पहले से मौजूद है, डीएसआईआर समर्थित सीआरटीडीएच परियोजना के पूरा होने के पांच साल बाद एक और सीआरटीडीएच स्थापित करने के लिए वित्त पोषण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। एक अन्य सीआरटीडीएच के लिए डीएसआईआर द्वारा समर्थन के लिए आवेदन करते समय, उन्हें डीएसआईआर की सीआरटीडीएच योजना के उद्देश्यों के अनुसार उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से बताते हुए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा मौजूदा सीआरटीडीएच का "प्रभाव विश्लेषण" प्रस्तुत करना होगा।

6.0 सहायता की प्रकृति

क) सहायता धनराशि सीआरटीडीएच की स्थापना करने की कुल लागत का 70% तक सीमित रहेगी (भूमि तथा भवन को

छोड़कर) और प्रति सीआरटीडीएच 15.00 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहेगी जोकि डीएसआईआर से सहायता अनुदान के रूप में होगा।

ख) डीएसआईआर द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित मदों/कार्यकलापों के लिए होगी:-

- आर एंड डी उपकरण की खरीद की लागत
- आर एंड डी उपकरण प्रचालित करने के लिए जरूरी अवसंरचना स्थापित करने की लागत
- आर एंड डी सुविधाओं की लागत जैसे कि
  - डिजाईन इंजीनियरिंग सेंटर
  - प्रायोगिक संयंत्र तथा उन्नयन सुविधाएं
  - प्रोटोटाईप/प्रक्रियाओं का विकास
  - तकनीकी ज्ञान तथा स्वदेशी विकास संवर्धन के लिए परामर्शी सेवाएं
  - परीक्षण तथा मान्यकरण
  - कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/कौशल विकास तथा अनुसंधान सूचना

ग) भूमि तथा भवन की लागत का वहन मेजबान संगठन द्वारा किया जाना चाहिए।

घ) सीआरटीडीएच की स्थापना तथा संचालन के लिए उपभोज्य वस्तुओं तथा बार-बारके खर्चों की लागत का वहन भी मेजबान संगठन द्वारा किया जाएगा।

7.0 स्थापना की अवधि तथा सीआरटीडीएच का संचालन

सीआरटीडीएच को सामान्य तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आवेदक मेजबान संगठनों को सीआरटीडीएच की स्थापना तथा इसे संचालन योग्य बनाने के लिए अपेक्षित अवधि का अपने प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

8.0 चयन प्रक्रिया

क) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त प्रस्तावों की योजना के दिशानिर्देशों और प्रासंगिकता के संबंध में पूर्णता के लिए डीएसआईआर द्वारा गठित एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।

ख) प्रस्तावों का मूल्यांकन तीन पहचाने गए बाहरी डोमेन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञों को प्रासंगिक प्रश्नावली के साथ उद्देश्यपूर्ण रूप से चिह्नित प्रस्ताव का आकलन करने के लिए प्रदान किया जाएगा। मेजबान संगठनों का / चयन प्रारंभिक मूल्यांकन मूल्यांकन के साथ उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से होगा।

ग) विधिवत अनुशंसित प्रस्तावों को सचिव, डीएसआईआर की मंजूरी के साथ गठित सीआरटीडीएच सलाहकार और स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। (सीएएससी)

घ) सी ए एस सी द्वारा प्रस्तावित जूरी कोअनुशंसित मं /IFD की वित्तीय सहमति और सचिव, डीएसआईआर के अनुमोदन के लिए संसाधित किया जाएगा। निर्णय, इसलिए या अन्यथा, आवेदक होस्ट संगठन को सूचित किया जाएगा।

9.0 धनǒƕŘ का उन्मोचन

क) फंड जारी करने से पहले, होस्ट संगठन को डीएसआईआर के साथ एक समझौता / ज्ञापन में प्रवेश करना होगा जो स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की विशिष्ट भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों को स्पष्ट करेगा।

ख) मेजबान संगठन को पहली किस्त जारी करने से पहले सीआरटीडीएच की स्थापना और संचालन के लिए अनुदान-में-सहायता के लिए "नियम और शर्तें" पर हस्ताक्षर करना होगा, जो अनुमोदन के पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

ग) सभी देय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, होस्ट संगठन को पहली किस्त जारी की जाएगी। डीएसआईआर धनराशि सामान्य वित्तीय नियम)GFR) और प्रावधान के अनुसार जारी की जाएगी। पहली किस्त की राशि मेजबान संगठन के साथ सीआरटीडीएच के लिए भूमि और भवन की उपलब्धता की पुष्टि के अधीन, कुल स्वीकृत डीएसआईआर समर्थन का अधिकतम 60 %तक सीमित होगी।

घ) बाद की किस्तों का विमोचन संतोषजनक प्रदर्शन, वितरण प्राप्त किए गए मील के पत्थर /, परियोजना मार्गदर्शन सह समीक्षा समिति आधारित होगा। ऐसे की सिफारिश और लेखा परीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर (पीजीआरसी) मामलों में जहासंतोषजनक प्रदर्शन किस्त के तहत जारी की गई राशि का उपयोग करने के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है 1, बाद की किस्त के संचालन की पुष्टि के बाद ही जारी की जाएगी (एस) खरीदे गए उपकरण किश्त से बाहर 1, और अन्य देय प्रतिबद्धताओं के रूप में लागू होती है।

10.0 सीआरटीडीएच का प्रचालन तंत्र

क) सीआरटीडीएच को DSIR द्वारा जारी अनुदान की पहली किस्त के एक वर्ष के भीतर अपना परिचालन शुरू कर देना चाहिए।

ख) सीआरटीडीएच की स्थापना और संचालन की उपलब्धियों की प्रगति की आवधिक निगरानी और समीक्षा डीएसआईआर

द्वारा गठित एक परियोजना मार्गदर्शन सह समीक्षा समिति (पीजीआरसी) के माध्यम से होगी। यह समिति निर्धारित उद्देश्यों के लिए निर्देशित लक्ष्यों में किसी भी संशोधन / परिवर्धन का सुझाव देगी और सुझाव देगी, जिसमें आगे किस्त जारी करने की सिफारिशें, निरंतरता / विस्तार / परियोजना को बंद करना, आदि शामिल हैं।

ग) सीआरटीडीएच के दिन-प्रतिदिन के संचालन का प्रबंधन प्रबंधन समिति (एमसी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मेजबान संगठन के प्रमुख और / या उनके प्रतिनिधि करेंगे और जिसमें एमएसई के उद्योग प्रतिनिधियों में से प्रमुखता शामिल होगी। संबंधित क्षेत्र, अनुसंधान और अकादमिक विशेषज्ञ और संबंधित क्षेत्र के अन्य संसाधन व्यक्ति, वित्त और प्रबंधन विशेषज्ञ।

घ) एमसी को प्रत्येक उप-परियोजना को लागू करने से पहले अग्रिम रूप से समय-साझाकरण, उपयोगकर्ता शुल्क और

ङ) अन्य ऑपरेटिंग मापदंडों की कार्यप्रणाली सहित सीआरटीडीएच के लिए उपयोगी एक व्यावसायिक मॉडल डिवाइस के लिए सशक्त किया जाएगा।

च) मेजबान संगठन स्पष्ट रूप से **सीआरटीडीएच** की स्थिरता पर अपनी योजनाओं को निर्दिष्ट करना चाहिए। **सीआरटीडीएच** को वाणिज्यिक आधार पर संचालित नहीं किया जाना है और यह लागत से अधिक आधार पर संचालित होने की उम्मीद है। एफ) सीआरटीडीएच के पास आरएंडडी गतिविधियों के साथ-साथ समर्थन गतिविधियों के लिए आवेदक मेजबान संगठन की अच्छी तरह से योग्य और कुशल जनशक्ति होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, संबंधित उद्योग CRTDH में अपनी R & D गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए अपनी खुद की श्रमशक्ति तैनात कर सकते हैं।

छ) आवेदक मेजबान संगठन **सीआरटीडीएच** के लिए एक अलग खाता रखेगा।

ज) सीआरटीडीएच के उपयोगकर्ताओं को गैर प्रकटीकरण समझौते (NDA) और / या **सीआरटीडीएच** के साथ गोपनीयता समझौते के माध्यम से गोपनीयता का आश्वासन दिया जाएगा।

झ) सीआरटीडीएच की स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया माना जाएगा जब सभी अनुमानित डिलिवरेबल्स पूरा हो चुके हों, विधिवत रूप से खातों के अंतिम ऑडिट किए गए विवरण प्रस्तुत करने पर पीजीआरसी द्वारा सिफारिश की गई है।

ञ) DSIR द्वारा परियोजना का समापन लेखा परीक्षा खातों और **सीआरटीडीएच** से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। इसके बाद, तीन वर्षों के लिए वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सीआरटीडीएच द्वारा DSIR को प्रस्तुत की जाएगी।

ट) उन शर्तों के तहत जब सीआरटीडीएच का उपयोग कम रहता है, MC सरकारी प्रयोगशालाओं या संस्थानों को DSIR की मंजूरी के साथ सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है।

11.0 अपेक्षित प्रदेय

क) औद्योगिक अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण, जिसमें एक डिजाइन इंजीनियरिंग केंद्र, पायलट प्लांट और स्केलअप उपकरण-, प्रोटोटाइप प्रक्रियाओं के विकास के लिए समर्थन / प्रणाली, तकनीकी ज्ञान बढ़ाने और स्वदेशी शामिल हो सकते हैं। एमएसई के लाभ के लिए परामर्श, विशेष परीक्षण और सत्यापन, कौशल विकास और अनुसंधान जानकारी आदि।

ख) नेटवर्किंग और निर्मित सुविधा के राष्ट्रव्यापी प्रचार के माध्यम से औद्योगिक भागीदारी को लागू करना। प्रत्येक **सीआरटीडीएच** से अपेक्षा की जाती है कि वह पांच वर्षों के समय सीमा के भीतर-200 से अधिक MSE को पूरा कर सके।

ग) प्रत्येक **सीआरटीडीएच** को अपने संचालन के पहले वर्ष में कम से कम 10 MSEs सुविधाओं के उपयोग को सक्षम बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, धीरेधीरे प्रस्तावित लक्ष्य तक बढ़ रहा है।-

घ) **सीआरटीडीएच** को नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए मौजूदा संस्थागत जानकारियों और R & D की जरूरत के बीच अंतराल को पाटने की दिशा में काम करना चाहिए, और इस तरह उद्योगों को अपने कमजोर R & D विभागों का विस्तार करने में मदद करनी चाहिए।

ङ) प्रत्येक (**सीआरटीडीएच** अपनी स्थिरता के लिए एक व्यवसाय मॉडल विकसित करेगा ताकि वह अपनी स्थापना के बाद 5 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाए।

12.0 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया

आवेदक मेजबान संगठन को निधा्ररित प्रारूप में **(अनुलग्नक I)** पांच प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। **एमएस वर्ड/पीडीएफ** फाइल के रूप में, सभी अनुलग्नकों एवं परिशिष्टों के साथ साफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत की जानी है। प्रस्ताव, आवेदक मेजबान संगठन के प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

डॉ सुजाता चकलानोबिस
प्रमुख एवं वैज्ञानिक 'जी' (सीआरटीडीएच),
साझा अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीआरटीडीएच)
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भ्वन, नया महरौली मार्ग,
नई दिल्ली- 110016
फोन : 011- 26590277, ई-मेल: priya@nic.in

क्र सं.-II

अनुलग्नक -I

डीएसआईआर की बर्ड – सीआरएफ योजना के तहत
साझे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीआरटीडीएच) के निर्माण के लिए
आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

सेक्टर ----------

(आवेदन-पत्र भरने से पहले कृपया दिशा-निर्देश और अनुदेश पढ़ें)

1. आवेदक मेजबान संगठन की सामान्य जानकारी

1.1 आवेदक मेजबान संगठन संस्थान / संगठन का नाम और पता

1.2 आवेदक मेजबान संगठन संस्थान / संगठन के प्रमुख का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण

1.3 प्रमुख निवेशकर्ता का नाम, पदनाम तथा संपर्क विवरण

1.4 संगठन का प्रकार *(दिशा- निर्देश देखें)*

1.5 आवेदक मेजबान संगठन संस्थान का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें उत्पत्ति, कानूनी स्थिति आदि शामिल हैं।

1.6 आवेदक मेजबान संगठन संस्थान / संगठन की आर एंड डी पृष्ठभूमि

1.6.1 विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों का विवरण विकसित

1.6.2 पेटेंट और प्रकाशनों सहित अनुसंधान और विकास गतिविधियों और उपलब्धियों पर जाना

1.7 आवेदक मेजबान संगठन की ताकत और योग्यता (बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के संदर्भ में)

1.7.1 मौजूदा भूमि, भवन और अनुसंधान एवं विकास के बुनियादी ढांचे का विवरण

1.7.2 मौजूदा आरएंडडी / कुशल जनशक्ति का विवरण

1.8 आवेदक होस्ट संगठन द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्राप्त अनुसंधान अनुदान (विवरण) का विवरण:

वर्ष	परियोजना का शीर्षक	फंडिंग एजेंसी	प्राप्त / स्वीकृत राशि	परियोजना की स्थिति

2. प्रस्ताव सारांश

2.1 फोकस क्षेत्र के तहत प्राथमिकता क्षेत्र (दिशा-निर्देशों के अनुभाग 3.0 का संदर्भ लें)

2.2 सीआरटीडीएच के लक्षित लाभार्थी

2.3 फोकस क्षेत्र में MSE क्लस्टर का नाम और स्थान

2.4 ध्यान केंद्रित क्षेत्र में एमएसई क्लस्टर की एकीकृत आरएंडडी और प्रौद्योगिकी विकास आवश्यकताओं की पहचान की। संभावित ग्राहक संपर्क रिपोर्ट संलग्न करें।

2.5 फोकस / प्राथमिकता क्षेत्र में आवेदक मेजबान संगठन के अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता, पेटेंट और प्रकाशन पर लिखें।

2.6 सीआरटीडीएच के निर्माण का प्रस्ताव

2.6.1 औचित्य और उद्देश्य
2.6.2 निर्माण की जाने वाली सुविधाओं पर लिखें और सुविधा / समर्थन के लिए गतिविधियाँ करें
2.6.3 हब के निर्माण के लिए आवंटित भूमि और भवन का विवरण
2.6.4 परियोजना की अवधि
2.6.5 परियोजना लागत का विस्तृत विराम

क्र. सं.	शीर्ष	कुल अनुमानित लागत		वित्त का स्रोत		
		पूंजी	आवर्ती	आवेदक मेजबान संगठन संस्थान से योगदान	डीएसआईआर से मांग	कोई अन्य, कृपया उल्लेख करें
क.	भूमि, भवन, आदि की ओर लागत				शून्य	
ख.	अनुसंधान एवं विकास उपकरणों की खरीद की दिशा में लागत					
ग.	अवसंरचना की स्थापना की लागत					
घ.	अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की ओर लागत					
	• डिजाइन इंजीनियरिंग केंद्र					
	• पायलट प्लांट और स्केल-अप,					
	• प्रोटोटाइप/ओं का प्रक्रिया विकास,					
	• तकनीकी ज्ञान और स्वदेशी विकास के लिए परामर्श					
	• परीक्षण और सत्यापन					
	• कौशल विकास और अनुसंधान की जानकारी					
ङ	रसायन, कच्चे माल, यांत्रिक उपकरण, सॉफ्टवेयर उपकरण					
च.	श्रमशक्ति					
छ.	कार्यशालाएं / प्रशिक्षण (कुल अनुदान का 5% से अधिक नहीं होने की मांग)					
ज.	कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें					

2.6.6 CRTDH योजना के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों का विवरण (मदों की वर्षवार सूची)

वर्ष	क्र.सं.	उपकरणों का नाम				

2.6.7 आत्म स्थिरता के लिए बिजनेस मॉडल
2.6.8 अपेक्षित परिणाम (गुणात्मक और मात्रात्मक)
2.6.9 संभावित जोखिम कारक
2.6.10 विनियामक अनुमोदन, यदि कोई हो

3. निगरानी-योग्य वर्षवार खास उपलब्धियाँ और प्रत्याशित आउटकम्स / डिलिवरेबल्स

क्र .सं.	की जाने वाली गतिविधि	समय	प्रगति / उपलब्धि के संकेतक	एमएसई की भागीदारी की उम्मीद

4. आवेदक मेजबान संस्थान के समर्थन में कोई अन्य सूचना

5. घोषणा:

मैं / हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के सही, पूर्ण और सही हैं। किसी भी जानकारी की स्थिति में, गलत या गलत पाए जाने पर, मेरा / हमारा प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और मेरे सभी दावों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, यह कहा गया है कि मैंने / हमने किसी अन्य एजेंसी से वर्तमान प्रस्ताव के लिए किसी भी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नहीं किया है।

स्थान : **(संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर)**

दिनांक:

क्र¿ सं.-III

अनुलग्नक -II

आवेदक मेजबान संगठनों के लिए निर्देश

1. आवेदक मेजबान संगठन को आवेदन भरने से पहले योजना के दिशानिर्देश और वेब साइट)http://www.dsir.gov.in) पर उपलब्ध विवरणों के माध्यम से जाना चाहिए। आवेदन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक निकायों या जीएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार एक अलग कानूनी इकाई वाले संस्थानों से होना चाहिए, और जहां एमएसई को अपने आरएंडडी को पूरा करने के लिए पहुंच होगी।

2. आवेदक मेजबान संगठन को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक –I) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सभी अनुलग्नकों और अनुबंधों सहित हार्ड कॉपी तथा निर्धारित प्रारूप में एक सॉफ्ट कॉपी (एम एस वर्ड फाइल) भी जमा करनी होगी।

3. आवेदन में जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई कॉलम प्रासंगिक नहीं है, तो उसे 'लागू नहीं' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। अपूर्ण अनुप्रयोगों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

4. लागत का अनुमान दिया जाना चाहिए और वास्तविक रूप से दिए जाने वाले पूर्ण औचित्य को दिए जाने की आवश्यकता है।

5. संलग्नक और अनुलग्नक को ठीक से लेबल किया जाना चाहिए और विभाजक के साथ आवेदन के साथ अनुक्रम में संलग्न होना चाहिए। दस्तावेज़ धारक को "CONFIDENTIAL - DSIR CRTDH PROPOSAL" के साथ सुपरसीड किया जाना चाहिए।

6. बजट के सभी आंकड़ों को should रु। के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। लाख में 'और केवल दो दशमलव अंकों के साथ। टाइपोग्राफिक त्रुटियों से बचने के लिए इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

7. अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

8. यदि प्रस्ताव पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरता है, तो मेजबान संगठन को इस विभाग के साथ एक समझौता करना होगा। आवेदक मेजबान संगठनों को समझौते के खंड के माध्यम से जाने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे स्वीकार्य हैं। समझौते के प्रारूप में कोई बदलाव संभव नहीं है।

9. कोई अंतरिम पूछताछ नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और आवेदक मेजबान संगठन को आवेदन में दिए गए पते के अनुसार लिखित संचार के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

क्र सं. IV

अनुलग्नक-III

करार / समझौता ज्ञापन

हमें पता है कि इन... ..... (यहाँ "Obligers" कहा जाता है, जिसे तब तक कहा जाता है, जब तक कि इस संदर्भ को छोड़कर या पीछे नहीं हटा दिया जाए, इसके उत्तराधिकारियों को शामिल करने की अनुमति दी जाए, असाइन किए गए और असाइन किए गए सभी व्यक्तियों को) जिससे भारत के राष्ट्रपति को बाध्य किया जाए (बाद में इसे "सरकार" कहा जाता है) "उनके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट) रुपये :रू. .... लाख (रुपए) .....की राशि में ..... केवल उद्योग क्षेत्र के लिए सामान्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना के लिए " ---------- ---------- " अच्छी तरह से और सही मायने में, सरकार को मांग पर और एक डिमोर (demur), के बिना भुगतान किया जाना है, जिसके लिए भुगतान हम दृढ़ता से इन प्रस्तुतों से करते हैं।

वर्ष के इस _____ को _____ को दो हजार और _____ को नामित किया

ओब्लेगर के अनुरोध पर, सरकार के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र सं. ..... दिनांक ..... के अनुसार है। (इसके बाद "मंजूरी के पत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इन दावों का एक अभिन्न अंग बनाता है और इसकी एक प्रतिलिपि जारी की जाती है) उद्योग के लिए सामान्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हब की स्थापना के उद्देश्य के लिए Obligers के पक्ष में बनाने के लिए सहमत हुए। क्षेत्र .... "रुपये का शुल्क .... लाख (रुपए) .....। केवल लाख) जिसमें से रु। ..... लाख (रुपए) .....। केवल लाख), उन भुगतानकर्ताओं को भुगतान किया गया है (जिस रसीद की राशि इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं) शर्त के आधार पर एक अनुबंध / एमओयू को क्रियान्वित करने वाले नियमों और उसके बाद इसमें निहित नियम जो कि करने के लिए सहमत हुए हैं।

अब उपर्युक्त लिखित दायित्व की स्थिति ऐसी है कि यदि "विधिवत् पत्र" में उल्लिखित सभी नियम और शर्तों का पालन विधिवत पूरा हो जाता है और अनुपालन होता है, तो उपर्युक्त लिखित दायित्व कोई प्रभाव नहीं होगा बल्कि अन्यथा रहेगा पूर्ण बल, प्रभाव और गुण में।

और ये आगे के गवाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं:

1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में भारत सरकार के सचिव का निर्णय इस प्रश्न पर कि क्या प्रस्ताव के पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन या उल्लंघन किया गया है, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2) सरकार ने इन दावों पर कोई चार्ज लगाने पर स्टांप शुल्क वहन करने पर सहमति व्यक्त की है।

के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए

.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम

क्र.सं. V

अनुलग्नक - IV

सीआरटीडी एच की स्थापना और इसके संचालन के लिए वित्तीय सहायता को संचालित करने वाले नियम और शर्तें

1. यह मेसर्स (मेजबान संगठन का नाम) से प्राप्त पत्र संख्या ---------- दिनांक .....के संदर्भ में है।

2. डीएसआईआर मेसर्स (मेजबान संगठन का नाम) .... को सीआरटीडीएच की स्थापना के लिए नीचे दिए अनुसार तथा विस्तृत भुगतान अनुसूची के साथ अधिकतम रु.---------- लाख तक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ।

पहली किश्त:
(काम के कमीशन के समय और समझौते पर हस्ताक्षर / समझौता ज्ञापन)
दूसरी किस्त:
(निर्धारित लक्ष्यों के संतोषजनक समापन पर और व्यय का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना और उपयोग प्रमाणपत्र) **तीसरी और अंतिम किस्त, यदि कोई हो:**
(वर्तमान चरण के संतोषजनक समापन पर)

3. उपरोक्त सहायता के विवरण में निम्न मदें होंगी :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	**सामाग्री**	**रकम**
क	अनुसंधान एवं विकास उपकरणों की खरीद की लागत..... I. ..... II. ..... III.	
ख	आर एंड डी उपकरण को संचालित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण की लागत	
ग	अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए लागत i. डिजाइन इंजीनियरिंग केंद्र, ii. पायलट प्लांट और स्केल-अप, iii. प्रोटोटाइप / प्रक्रियाओं का विकास, iv. तकनीकी ज्ञान और स्वदेशी विकास के लिए परामर्श v. परीक्षण और सत्यापन vi. कार्यशालाएं / प्रशिक्षण / कौशल विकास और अनुसंधान की जानकारी	

4. समर्थन केवल सीआरटीडीएच परियोजना के तहत MSE समूहों के लिए व्यय / गतिविधियों के अनुमोदित / मदों के लिए उपयोग किया जाएगा। जो भी हो; इस तरह के रकम को डीएसआईआर में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना एक आइटम से दूसरे आइटम या किसी अन्य परियोजना में भेजा जा सकता है।

5. सीआरटीडीएच योजना के संबंध में डीएसआईआर में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और हितधारकों पर बाध्यकारी होगा।

6. भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में वित्तीय सहायता और / या कार्य के दायरे से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में, डीएसआईआर में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेजबान संगठन के लिए बाध्यकारी होगा।

7. सीआरटीडीएच से संबंधित पक्षों के बीच होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, ये केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तक सीमित होंगे।

8. डीएसआईआर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा और / या किसी भी जनशक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता को ले सकता है, जो सीआरटीडीएच से संबंधित कार्य के लिए लगे / तैनात किए जा सकते हैं।

9. भारत सरकार (डीएसआईआर) अगर सीआरटीडीएच की प्रगति संतोषजनक नहीं है तो अनुदान को वापस लेने, बंद करने या

अनुदान पर रोक लगाने का अधिकार सुरक्षित है।

10. आरटीआई अधिनियम, 2005 के लिए सीआरटीडीएच के लिए दस्तावेजों की अवधारण अनुसूची निम्नानुसार हो सकती है:
    - अस्वीकृत या समर्थित आवेदन नहीं: अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष
    - स्वीकृत प्रस्ताव: तीन साल (परियोजना / अंतिम मंजूरी आदेश जारी करने के बाद)

11. डीएसआईआर द्वारा गठित एक परियोजना मार्गदर्शन सह समीक्षा समिति (पीजीआरसी) समय-समय पर परियोजना की तकनीकी और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी और अनुदान, निरंतरता / विस्तार / लघु-बंदी आदि की रिहाई की सिफारिश करेगी, सीआरटीडीएच के दिन-प्रतिदिन के संचालन। एक प्रबंधन समिति (एमसी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसका गठन डीएसआईआर के नियत अनुमोदन के साथ किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता मेजबान संगठन के प्रमुख और / या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी और संबंधित से एमएसई के उद्योग प्रतिनिधियों में से प्रमुखता के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। डीएसआईआर के अलावा संबंधित क्षेत्र, वित्त और प्रबंधन विशेषज्ञों के क्षेत्र, अनुसंधान और अकादमिक विशेषज्ञ और अन्य संसाधन व्यक्ति। डीएसआईआर के पास प्रबंधन समिति (एमसी) को पुनर्गठित करने की शक्ति होगी, यदि वांछित माना जाता है।

12. सभी परियोजना फाइलें सीएजी ऑडिट निरीक्षण के लिए खुली हैं, जो हर साल होती हैं। दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए, होस्ट संगठन डीएसआईआर की स्वीकृति के साथ एक प्रबंधन समिति का गठन करेगा।

13. मेजबान संगठन डीएसआईआर को निर्धारित प्रारूप में छह मासिक तकनीकी और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

14. उपभोग्य सामग्रियों और जनशक्ति से संबंधित लागत को मेजबान संगठन द्वारा लागत-प्लस आधार पर वहन किया जाएगा। सीआरटीडीएच व्यावसायिक आधार पर काम नहीं करेगा।

वित्तीय शर्तें:

15. जारी की गई राशि में से किसी भी अनपेक्षित शेष को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए।

16. हालांकि, परियोजना की प्रगति के आधार पर, डीएसआईआर की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ उसी परियोजना के उपयोग के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए अप्रकाशित धन को आगे बढ़ाया जा सकता है।

17. अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान, जब भी डीएसआईआर या उसके प्रतिनिधि डीएसआईआर के समर्थन से निर्मित खातों / अवसंरचना / सुविधाओं / उपयोग को देखने के लिए केंद्र का दौरा करना चाहते हैं, सभी जानकारी / विवरण प्रदान करेंगे।

18. सीआरटीडीएच परियोजना को मंजूरी और मेजबान संगठन को धनराशि जारी करना एक "समझौते / एमओयू" के अधीन है, जो 1 किस्त जारी होने से पहले मेजबान संगठन द्वारा डीएसआईआर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19. डीएसआईआर से प्राप्त राशि को एक अलग खाते में रखा जाएगा, जिसका विवरण डीएसआईआर, एमओएसटी को सूचित किया जाएगा। खाते से लेन-देन केवल अनुमोदित परियोजना के उद्देश्य के लिए होगा। दी गई राशि पर अर्जित कोई भी ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के समेकित कोष में वापस करना होगा। यह आवश्यक है कि परियोजना पर किए गए व्यय के लिए खातों की अलग-अलग ऑडिट की गई पुस्तकों को बनाए रखा जाए और जब भी आवश्यकता हो, इन पुस्तकों को सरकारी लेखा परीक्षकों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होना चाहिए। निम्नलिखित स्थितियां प्रबल होंगी:

    क. मंजूरी के मुद्दे से पहले किए गए किसी भी व्यय को इस अनुदान के खिलाफ स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

    ख. परियोजना के पूरा होने पर किसी भी शेष अप्रयुक्त राशि को होस्ट संगठन द्वारा डीएसआईआर को तुरंत अर्जित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

20. स्थायी संपत्तियों के लिए, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुदान से बाहर, एक लेखा परीक्षित रिकॉर्ड को रजिस्टर के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, जिसे जब भी मांग की जाए, सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। "संपत्ति" शब्द का अर्थ होगा: (i) सभी अचल संपत्ति; और (ii) पूंजी प्रकृति की चल संपत्ति जहां मूल्य रु। 1,000 / - से अधिक है। इस राशि का उपयोग किसी भी भवन के निर्माण / खरीद, पट्टे आदि के माध्यम से भूमि प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि, पायलट प्लांट, टेस्ट उपकरण, टेस्ट रिग्स, जिग्स, टूल्स और फिक्स्चर इत्यादि, अनुसंधान उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं, हालांकि, डीएसआईआर, अनुदान से निर्मित / प्राप्त / प्राप्त किया जा सकता है, यदि अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में इसकी पहचान की जाती है, या बाद में अनुमोदित किया जाता है।

21. संपत्ति का शीर्षक, यदि कोई हो, पूरी तरह से या आंशिक रूप से डीएसआईआर वित्तीय सहायता से अर्जित किया गया हो, तो डीएसआईआर, भारत सरकार के साथ आराम करेगा और विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य दलों को उपयोग करने के लिए बंद / पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। डीएसआईआर इस तरह के निपटान से उत्पन्न होने वाली बिक्री, यदि कोई हो, तो डीएसआईआर को सूचित किया जाएगा और डीएसआईआर से प्राप्त राशि के लिए बनाए गए खाते में जमा किया जाएगा।

22. कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए अनुदानकर्ता संस्थान द्वारा सभी प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि अनुदानदाता संस्था और डीएसआईआर के बीच संयुक्त रूप से तय किया गया है।

23. अनुदान देने वाला संस्थान डीएसआईआर, प्रमाणीकृत उपयोग प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से संबंधित एसई को भुगतान की किसी भी अन्य किस्त को जारी करने से पहले प्रस्तुत करेगा।

परियोजना की परिवर्तनशीलता:

24. जबकि मेजबान संगठन पूरी परियोजना या परियोजना का एक हिस्सा किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, हालांकि यह डीएसआईआर की पूर्व स्वीकृति के साथ, परियोजना के काम का एक हिस्सा एक शोध संस्थान या औद्योगिक इकाई को आउटसोर्स कर सकता है, ऐसी स्थिति में ऐसे संगठन को किया गया भुगतान परियोजना के लिए किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर होगा, जो डीएसआईआर द्वारा पूर्व अनुमोदन के साथ किया गया है।

निगरानी:

25. परियोजना को समय-समय पर PGRC द्वारा गठित DSIR द्वारा निगरानी की जाएगी, जिसमें DSIR, MoST द्वारा नामित विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है।

जानकारी का उपयोग और लाइसेंस :

26. एमएसई द्वारा सीआरटीडीएच के तहत परियोजना से डिजाइन, प्रकाशन, सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट परियोजना में शामिल संबंधित एमएसई के साथ निहित होगा।

27. परियोजना के माध्यम से उत्पन्न आईपीआर का स्वामित्व, पेटेंट अधिकार, पता है और परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अन्य अमूर्त संपत्ति परियोजना में शामिल संबंधित एमएसई को आराम देगी। DSR, MoST IPR मुद्दों से उत्पन्न विवादों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, हालाँकि, TIFAC के NRDC या PFC के नियम और नियम उन परियोजनाओं के लिए लागू होंगे जो उनके द्वारा पेटेंट के लिए समर्थित हैं।

रिपोर्टिंग:

28. यह आवश्यक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित विवरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक विधिवत लेखा-जोखा भेजा जाए, ताकि उस वर्ष के 31 अक्टूबर तक डीएसआईआर तक पहुंचा जा सके। उपयोग प्रमाण पत्र के साथ परियोजना के खातों का लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के करीब 90 दिनों के भीतर डीएसआईआर को भेजा जाएगा।

29. यदि परियोजना में डीएसआईआर के अलावा अन्य प्रायोजक शामिल हैं, तो खातों के ऐसे बयानों में परियोजना के आरंभ के समय परियोजना के प्रत्येक प्रायोजक के सहमत वित्तीय योगदान के अनुसार, विभिन्न प्रायोजकों के बीच व्यय का अनुमान स्पष्ट होना चाहिए।

30. परियोजना की तकनीकी और भौतिक कार्य सामग्री की प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट भी डीएसआईआर को भेजी जाएगी।

31. परियोजना के समापन के 90 दिनों के भीतर एक पूर्ण रिपोर्ट डीएसआईआर को प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट दो भागों में होगी (i) तकनीकी और (ii) वित्तीय। (I) के प्रारूप को डीएसआईआर के परामर्श से मेजबान संगठन द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जबकि (ii) बाद में DSIR से परियोजना पर खर्च की गई सभी राशियों के खातों के समेकित लेखा परीक्षित विवरण से युक्त, परियोजना राशि जारी की गई और प्रमाणपत्र लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र के साथ, ऐसी सभी राशियों का उपयोग।

वृद्धि:

32. परियोजना की अनुमोदित लागत से ऊपर और ऊपर की लागत में कोई भी वृद्धि मेजबान संगठन द्वारा वहन की जाएगी।

परियोजना का समापन :

33. डीएसआईआर को किसी भी स्तर पर परियोजना को समाप्त / बंद करने का अधिकार होगा

यदि यह आश्वस्त हो जाता है कि जारी किया गया फंड ठीक से उपयोग नहीं किया गया है, या परियोजना पर उचित प्रगति नहीं की जा रही है, या परियोजना को स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव में परिभाषित नियमों के अनुसार शर्तों और / या कार्य की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

34. परियोजना के उचित उपयोग / असंतोषजनक प्रगति के लिए परियोजना की समाप्ति के मामले में / ऊपर दी गई शर्तों का उल्लंघन, ब्याज सहित अनुदान की पूरी राशि, जैसा कि जीएफआर के प्रावधानों के तहत लागू नहीं है, और प्राप्त राशि परिसंपत्तियों का निपटान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को वापस कर दिया जाएगा।

35. मेजबान संगठन द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में परिभाषित शर्तों के अनुसार नियमों और शर्तों और / या काम की प्रकृति का पालन न करने के कारण परियोजना के परित्याग के मामले में, मेजबान संगठन को निधियों के साथ वितरित धन वापस करना होगा डीएसआईआर को 12% का दंड ब्याज। ब्याज की दर की गणना पहली मंजूरी की तारीख से की जाएगी।

36 . यदि डीएसआईआर, एमओएसटी द्वारा गठित निगरानी समिति की सिफारिशों और डीएसआईआर, एमओएसटी द्वारा अनुमोदित डीएसआईआर से अप्राप्त धन के आधार पर किसी भी तकनीकी-आर्थिक या उपरोक्त के अलावा किसी अन्य कारण से परियोजना को छोड़ दिया जाता है। परियोजना को जारी की गई एमओएसटी राशि और साथ ही डीएसआईआर, एमओएसटी द्वारा जारी की गई परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से प्राप्त राशि और / या किसी भी राशि की वसूली योग्य राशि, डीएसआईआर, एमओएसटी को वापस भुगतान किया जाएगा। नियम और शर्तों की विशिष्टता: 38. उपरोक्त नियमों और शर्तों को आपसी समझौते के माध्यम से डीएसआईआर द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

नियम और शर्तों में संशोधन :

37. उपरोक्त नियम और शर्तों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, द्वारा संशोधित किया जा सकता है

क्र.सं. VI

अनुलग्नक-V

विषय विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रारूप

(विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना है)

1. विशेषज्ञ का नाम और विवरण:
   (ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, संपर्क पता)

2. निम्नलिखित के आधार पर प्रस्ताव के गुणों का आकलन:

   2.1 `एमएसई की आवश्यकताएं

   - एमएसई की जरूरतों को उचित रूप से पहचाना जाता है?
   - मौजूदा तकनीक की उन्नति में क्या और कितना योगदान है?
   - नवाचार स्तर क्या है?
   - जोखिम का स्तर क्या है?
   - एमएसई की अपेक्षित भागीदारी क्या है?
   - क्या प्रस्ताव फ्रेम-वर्क और डिजाइन CRTDH के उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है?
   - क्या आईपी पीढ़ी की संभावना है?

   2.2 आवेदक मेजबान संगठन का बुनियादी ढांचा

   - आवेदक मेजबान संगठन के पास उचित अनुभव है जो परियोजना के लिए प्रासंगिक है?
   - आवेदक मेजबान संगठन के पास CRTDH की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि, भवन आदि है?
   - उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाई जाने वाली अनुसंधान सुविधाओं में उठाए जाने वाले कार्यकलाप हैं?
   - आवेदक मेजबान संगठन के पास आर एंड डी उपकरण, योग्य / कुशल जनशक्ति, उपभोग्य सामग्रियों, आदि के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी क्षमताएं हैं?

   2.3 निर्धारित लक्ष्यो/ प्रदेयों तक पहुंच

   - क्या समयरेखा / मील के पत्थर / डिलिवरेबल्स यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हैं?
   - क्या दो साल बाद आत्म-टिकाऊ बनने की योजना है? यह कितना यथार्थवादी है?
   - अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा के उपयोग की विधि स्पष्ट रूप से परिभाषित है?

   2.4 बजट का औचित्य

   - खरीदे जाने वाले प्रस्तावित उच्च अंत उपकरण किस सीमा तक उचित हैं?
   - अन्य एजेंसियों से वित्तीय सहायता की सीमा क्या है?

   2.5 सीएएससी को सिफारिशें: स्वीकृति /अस्वीकृति

क्र.सं. VII

अनुलग्नक -VI

व्यय का विवरण

(वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष यानी अगले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक)

1. स्वीकृति पत्र संख्या _____
2. कुल परियोजना लागत रुपए _____
3. स्वीकृति / संशोधित परियोजना रुपए _____ लागत (यदि लागू हो)
4. परियोजना के प्रारंभ की तिथि _____
5. प्राप्त अनुदान और व्यय का विवरण:

5 (क) अनुदान प्राप्त हुआ

वर्ष	अनुदान प्राप्त हुआ	यदि पिछले वर्षों से अनिर्दिष्ट शेष राशि को आगे बढ़ाया गया है, यदि कोई हो	ब्याज अर्जित, यदि कोई हो	कुल राशि जो व्यय के लिए उपलब्ध थी	कुल व्यय	यदि किसी को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाए तो संतुलन
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7

(*) विभिन्न शीर्षों के तहत डीएसआईआर अनुदान का ब्योरा जो स्वीकृति पत्र से संबंधित है

लागत का विवरण

6 (क) स्थायी उपकरण / संपत्ति आदि।

क्र.सं.	उपकरण/सम्पत्ति का नाम मॉडल नाम, विशेष विवरण सहित	खरीद की तारीख	प्रस्ताव में परिकल्पित राशि	वास्तविक (*) व्यय	अन्य (**) व्यय	कुल व्यय

नोट: आयातित उपकरणों के मामले में, कृपया सीआईएफ निर्दिष्ट करें उपकरण की लागत, कस्टम ड्यूटी, बीमा, कुल भूमि की लागत, इन-लैंड फ्रेट चार्ज आदि, अलग से।

(*) इसमें केवल उपकरण की लागत, बीमा भाड़ा शुल्क शामिल होना चाहिए।
(**) अन्य खर्चों जैसे बैंक शुल्क, एजेंसी कमीशन आदि को उचित बातचीत के माध्यम से बचा जाना चाहिए। यदि अपरिहार्य व्यय किए गए हैं, तो संकेत दिया जा सकता है।
(#) ओवरहेड खर्च (दी जाने वाली मदवार जानकारी)

परियोजना प्रमुख/ मेजबान संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर सील और तारीख सहित	परियोजना प्रमुख/मेजबान संगठन के सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर सील और तारीख सहित	चार्टर्ड एकाउंटेंट/ एकाउंट अफसर के हस्ताक्षर सील और तारीख सहित

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(व्यय के वार्षिक विवरण के मामले में)

प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के वित्तीय खातों का लेखा-जोखा मेरे / हमारी फर्म द्वारा किया गया है और वर्ष..... के लिए वित्तीय विवरणों में दिए गए व्यय का विवरण सही है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम और हस्ताक्षर
पंजीकरण संख्या और सील के साथ
तारीख :

क्र.सं. VIII

अनुलग्नक -VII

जीएफआर 12 - ए
[(नियम 23 ((1 देखें)]

उपयोग प्रमाणपत्र का प्रारूप
गैर-सरकारी संगठन के स्वायत निकायों के लिए

..

आवर्ती / गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता/वेतन/ पूँजीगत संपत्ति के सृजन क़े लिए
वर्ष..... के संदर्भ में उपयोग प्रमाणपत्र

1. योजना का नाम .....
2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान .....
3. वित्त वर्ष के आरम्भ में अनुदानों की स्थिति
   i. कैश इन हैंड / बैंक
   ii. अनुचित अग्रिम
   iii. योग
4. प्राप्त अनुदान का विवरण, व्यय और शेष राशि (वास्तविक)

अनुदान के अनपेक्षित शेष राशि को वर्ष]SI के अनुसार प्राप्त हुआ। नंबर 3)iii)]	ब्याज अर्जित किया	ब्याज सरकार के पास वापस जमा कर दिया जाता है	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धन (1+2-3+4)	व्यय हुआ	क्लोजिंग बैलेंस (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति सं. (i)	तिथि (ii)	रकम (iii)			

अनुदान के घटक वार उपयोग:

अनुदान सहायता जनरल	अनुदान सहायता वेतन-	पूंजीगत संपत्तियों का अनुदान-निर्माण-में	कुल

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

i. कैश इन हैंड बैंक /
ii. अन्यायपूर्ण अग्रिम
iii. कुल

प्रमाणित किया है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों पर अनुदान मंजूर किए गए थे, वे विधिवत रूप से पूरे हो गए हैं पूरे / किए जा रहे हैं और यह देखने के लिए कि मैंने वास्तव में जिन उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया था, यह देखने के लिए निम्नलिखित जांचों का उपयोग किया है:

(i) मुख्य खातों और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों पत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम / नियमों / स्थायी निर्देशों सं) अधिनियम / नियमों का उल्लेख करते हुए) में निर्धारित रखा गया है)और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित किया गया है। वित्तीय विवरणों थ मिलान के ऊपर दर्शाए गए आंकड़े।खातों में उल्लिखित अंकेक्षित आंकड़ों के सा /

(ii) सार्वजनिक निधियों / परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं, वित्तीय आदानों के खिलाफ भौतिक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखना, परिसंपत्ति निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना आदि और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों के आवधिक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है।

(iii) हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वश्रेष्ठ में, कोई भी लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियमों / स्थायी निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(iv) योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट शब्दों में सौंपा गया है और प्रकृति में सामान्य नहीं हैं।

(v) यह लाभ संबंधित लाभार्थियों को दिया गया था और केवल ऐसे क्षेत्र / जिले कवर किए गए थे जहां योजना संचालित करने का इरादा था।

(vi) योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशानिर्देशों और सहायता अनुदान की शर्तों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि ..... के तहत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन। (योजना का नाम भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, और प्रदर्शन / लक्ष्यों ने उस वर्ष के लिए वक्तव्य प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप निधि का उपयोग अनुबंध में दिए गए परिणामों के कारण हुआ - मैंने विधिवत रूप से संलग्न किया। ।

(viii) निधि के उपयोग का परिणाम अनुलग्नक - ॥ में दिए गए परिणामों के अनुसार था (मंत्रालय / विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं / विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना।)

(ix) एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान-सहायता के माध्यम से एजेंसी द्वारा निष्पादित विभिन्न योजनाओं का विवरण अनुलग्नक - ॥ (मंत्रालय / विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं / विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना है) में संलग्न है।

तारीख:
जगह:

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम----------	नाम ----------
मुख्य वित्त अधिकारी	संगठन के प्रमुख
(वित्त प्रमुख)	

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

उपयोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डीएसआईआर के पत्र क्रमांक _____ के जरिए _____ के पक्ष में वर्ष _____ के दौरान स्वीकृत _____ रुपए में से और पिछले वर्ष की _____रुपए शेष बची राशि को आगे ले जाते हुए, _____ रुपए का उपयोग _____ के उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और वर्ष के अंत में अनुपयोग की गई शेष रशि _____ रुपए सरकार को (चालान संख्या _____ दिनांक _____) अभ्यर्पित कर दी गई है/ डीएसआईआर को अभ्यर्पित की गई है/ अगले वर्ष के दौरान देय अनुदान-इन-सहायता की ओर समायोजित किया जाएगा / अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर एमओएसटी द्वारा अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी, वे पूरी हो गई हैं / पूरी हो रही हैं और यह देखने के लिए कि मैंने वास्तव में धन का उपयोग किया था, यह देखने के लिए मैंने निम्नलिखित जांच की है। जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।

जाँच इस तरह की गई ।

1.
2.
3.
4.
5.

परियोजना प्रमुख/ मेजबान संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर सील और तारीख सहित	परियोजना प्रमुख/मेजबान संगठन के सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर सील और तारीख सहित	चार्टर्ड एकाउंटेंट/ एकाउंट अफसर के हस्ताक्षर सील और तारीख सहित

क्र.सं. IX

अनुलग्नक - VIII

अर्ध- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप

महत्वपूर्ण बिंदु:

i दिए गए प्रारूप में रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ii परियोजना पूरी तरह से चालू नहीं होने पर भी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। कृपया उन मदों के खिलाफ निल लिखें जहां रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण नहीं है या यदि कोई विशेष मद प्रासंगिक नहीं है।

iii रिपोर्ट में हर साल 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान का काम शामिल होना चाहिए।

iv धनराशि जारी करने की सुविधा के लिए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

v रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुभागों के तहत रिपोर्ट के बाद कवर पृष्ठ के साथ दिए गए प्रारूप में होनी चाहिए।

vi डीएसआईआर को भेजने से पहले परियोजना टीम द्वारा रिपोर्ट पर चर्चा और अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

परियोजना का शीर्षक: _____

डीएसआईआर स्वीकृति पत्र: सं. ._____

शुरू करने की तारीख: _____ परियोजना की कुल लागत रु. _____

रिपोर्ट की अवधि: _____ से _____ तक

मेजबान संगठन के प्रमुख का नाम: _____

मेजबान संस्थान का नाम _____

_____

1. परियोजना के उद्देश्य (जैसा कि स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव में कहा गया है)

2. पिछली रिपोर्टों में प्रगति का सारांश, यदि कोई हो।

3. परियोजना में शामिल जनशक्ति का विवरण।

नाम एवं योग्यता	पदनाम	आवंटित कार्य

4. वित्तीय व्यय रिपोर्ट

5. कमी के कारणों की व्याख्या करते हुए परियोजना की तकनीकी और वित्तीय प्रगति पर एक विस्तृत लेखन, यदि कोई हो और कमी को दूर करने के लिए किए गए उपाय। लिखने में परियोजना और गतिविधियों के पूरा होने की प्रगति और संशोधित तारीखों का आत्म मूल्यांकन शामिल हो सकता है।

6. लक्षित / प्राप्त के रूप में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की अनुसूची।

लक्ष्य तिथि	--------- को प्रगति %				
गतिविधि	---------- आरम्भ	समाप्त	---------- लक्ष्य	वास्तविक	टिप्पणी
क.					
ख.					
ग.					
घ.					

ड. आयातित सामग्री / घटकों की खरीद आदि, यदि कोई

च. प्रोटोटाइप/आरंभिक प्लांट के निर्माण, स्थापना और कमीशन

छ. निष्पादन / मान्यता परीक्षण / जाँचें

ज. कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें

झ. अंतिम रिपोर्ट

---

6. तारीख (ओं) जिस पर परियोजना टीम द्वारा रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी।

परियोजना प्रबंधक का नाम और हस्ताक्षर

मेजबान संगठन के प्रमुख की टिप्पणी

मेजबान संगठन के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर, सील सहित

क्र.सं. X

अनुलग्नक – IX

सीआरटीडीएच परियोजना आवेदक मेजबान संगठनों के लिए
सह-पत्र (कवरिंग लैटर) और जांच-सुची (चेकलिस्ट)

सेवा में

प्रमुख सीआरटीडीएच (वर्ड-सीआरएफ),
---------- .

विषय: सेक्टर..... में साझे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास हब के निर्माण का प्रस्ताव

प्रिय.....

मैं इसके लिए CRTDH के तहत अनुदान-में-सहायता के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा / रही हूं।

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं (यदि संलग्न हो तो बॉक्स को चेक करें)

□ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र

□ होस्ट संगठन से अंडरटेकिंग

□ एमएसईएस, की प्रौद्योगिकी की जरूरतों, प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे का निर्माण, एमएसई क्लस्टर आकार से लाभान्वित होने के लिए विस्तृत प्रस्ताव, एमएसईएस के लिए R & D और नवाचार लाभ पर प्रकाश डाला गया

□ प्रस्ताव सारांश

□ एमएसई क्लस्टर द्वारा ब्याज का दस्तावेजी प्रमाण (ग्राहक संपर्क रिपोर्ट)

□ कॉस्ट प्लस आधार पर सुविधा चलाने के लिए बिजनेस मॉडल
□ मील का पत्थर और वितरण के साथ बार चार्ट

□ आवेदक मेजबान संगठन के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का दस्तावेजी प्रमाण

□ पेटेंट / प्रकाशनों की सूची

□ कोई अन्य दस्तावेज, कृपया निर्दिष्ट करें .....

(आवेदक मेजबान संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर)

क्र.सं. XI
दिनांक

अनुलग्नक - X

(स्वीकृति पत्र का प्रारूप)

संदर्भ सं. ---------- दिनांक----------

प्रमुख

साझा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास हब
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन
न्यू महरौली रोड
नई दिल्ली - 110 016

संदर्भ: -डीएसआईआर पत्र सं. ---------- दिनांक .....

विषय: औद्योगिक सेक्टर ..... में सीआरटीडीएच की स्थापना |

महोदय/महोदया,

हम आपके उपर्युक्त पत्र में यथा- निहित, डीएसआईआर के ..... रुपए (..... रुपए मात्र) के योगदान की ओर औद्योगिक सेक्टर .....में सीआरटीडीएच की स्थापना का कार्य स्वीकार करते हैं।

हम आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र में और इसके साथ संलग्न अनुबंध ..... में निहित नियमों और शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं।

हम आपके उपरोक्त पत्र में निर्दिष्ट बांड को निष्पादित करने के लिए भी सहमत हैं। नियमों और शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रति इस पर आपकी स्वीकृति दर्शाते हुए इसके साथ वापस की जाती है।

हस्ता / -

(अनुदेयी संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि)